

**समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड**  
**तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना (पेंशन का प्रार्थना-पत्र)**

समाज कल्याण की वैवसाईट

[www.socialwelfare.uk.gov.in](http://www.socialwelfare.uk.gov.in)

- 1 \* आवेदक का नाम कु0/श्री/श्रीमती .....
- 2 \* पिता/पति का नाम श्री .....
- 3 \* स्थायी पता—  
मोहल्ला/ग्राम.....  
पोस्टआफिस—.....  
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....  
न्याय पंचायत .....विकासखण्ड.....  
तहसील.....जनपद.....

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सरस्य  
क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत  
अध्यक्ष/समासद नगरपालिका/ग्राम  
विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

4-1 \* विकलांगता का प्रकार.....विकलांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाय।

4-2 \* विकलांगता का प्रतिशत.....

5 \* जाति .....

6 \* जन्मतिथि/आयु .....आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।  
( भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)

7 \* आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....

\* खातासंख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* IFSC Code No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।

8 \* वोटर पहचान पत्र संख्या .....

9 \_\_\_\_\_आधार नम्बर ..... 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 \* स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर .....

**आवेदक द्वारा घोषणा—**

मैं कु0/श्रीमती/श्री .....घोषणा

करती/करता हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही है। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भौति कर ली जाय।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि कु0/श्रीमती/श्री.....पति/पिता.....

.....जो कृषि कार्य करने में विकलांग हुई है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना हेतु पात्रता की श्रेणी में आती हैं/आते हैं, का आज खुली बैठक में चयन किया।

**ग्रामीण क्षेत्र के लिये**

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

**नोट—** \* सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

— सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।